# राजस्थान विधान सभा

## प्रथम बैठक, सोमवार, दिनांक-३ दिसम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में मध्यान्ह पूर्व ११-५ बजे प्रारम्भ हुई

( श्री जयनारायण व्यास, कार्यकारी अध्यक्ष, पदासीन )

### कार्यकारी अध्यक्ष पद पर श्री जयनारायण व्यास की अस्थायी नियुक्ति संबन्धी अधिसूचना

श्री मनसाराम पुरोहित ( सचिव, राजस्थान विधान सभा )—I will read out the Notification regarding the appointment of Shri Jai Narain Vyas as Provisional Speaker :—

"In exercise of the powers conferred by article 180 of the Constitution of India, the Governor of the State of Raj asthan has been pleased to appoint Shri Jai Narain Vyas, a Member of the Rajasthan Legislative Assemble, to perform the duties of Speaker of the said Assembly during its session commencing on the 3rd day of December, 1956, until such time as a Speaker shall have been elected.

By order of the Governor,
KISHEN PURI
Chief Secretary to the Government."

(करतल-ध्वनि)

### श्री जयनारायण व्यास, कार्यकारी अध्यक्ष, के समक्ष सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने सम्बन्धी अधिसूचना

श्री मनसाराम पुरोहित(सचिव)—I will now read to the House a Notification regarding authorisation of Shri Jai Narain Vyas before whom the members will take oath or affirmation :-

"In exercise of the powers conferred by article 188 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan has been pleased to appoint Shri Jai

[श्री मनसाराम पुरोहित]

Narain Vyas as the person before whom members of the Rajasthan Legislative Assembly shall make and subscribe an oath or affirmation.

By order of the Governor,
KISHEN PURI
Chief Secretary to the Government."

## श्री जयनारायण व्यास द्वारा, श्रीमान् राज्यपाल के समक्ष, शपथ लेने सम्बन्धी अधिसूचना

**श्री मनसाराम पुरोहित**—Now I will read a Notification regarding the oath of Shri Jai Narain Vyas before the Governor this morning :-

"Shri Jai Narain Vyas, Member, Rajasthan Legislative Assembly, has made and subscribed an oath before the Governor on the 3rd December, 1956, in the forenoon, in accordance with Form VII set out in the Third Schedule to the Constitution of India."

## माननीय सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष—Members will now make or subscribe oath or affirmation.

(निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण किया)

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (करतल–ध्वनि)
,, राम किशोर व्यास
,, अमृतलाल यादव
,, रामनिवास मिर्धा
,, दामोदर लाल व्यास
,, बद्रीप्रसाद गुप्ता
,, बृजमोहन लाल शर्मा
,, [illegible] जोशी
,, रामचन्द्र चौधरी

[श्री अध्यक्ष]

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (अनुपस्थित)

,, सम्पतराम

,, शाह अलीमुद्दीन अहमद

,, खेतसिंह

,, भोगीलाल पंड्या

,, अवनीकुमार मुखर्जी

,, ले० कर्नल राजाधिराज श्री अमरसिंह

,, सरदार अर्जुन सिंह

,, बद्रीलाल (अनुपस्थित)

,, बलवीर सिंह

श्रीमती यशोदा देवी

श्री भगवान सिंह तरंगी

,, भैरवलाल कालाबादल (अनुपस्थित)

,, मेजर ठा० भैरोंसिंह (खेजड़ला)

ठा० श्री भैरोंसिंह (बाली-देसूरी) (अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (राजसमन्द रेलमगरा कान्स्टीच्युएन्सी)

ठा० श्री भानुप्रतापसिंह

श्री भवानी सहाय शर्मा

,, भैरूंसिंह दांता रामगढ

,, ठा० श्री भीमसिंह

,, भोलानाथ

,, विश्वम्भरनाथ जोशी

,, चन्दनमल वैद

,, चन्द्रकान्त राव

,, छुंगा

,, छतरसिंह

,, छोटूसिंह

[श्री अध्यक्ष]

श्री छीतरलाल शर्मा
,, चुन्नी लाल बिड़ला
,, भोपालसिंह (अनुपस्थित)
ले० क० श्री बिशनसिंह (अनुपस्थित)
महाराज कु० श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)
श्री दिलीपसिंह
,, दीनबन्धु परमार
कु० श्री देवी सिंह
ठाकुर श्री धर्मचन्द्र
श्री धर्मपाल पवांर
,, धूलजी भाई भावसार
ले० क० श्री आर दिलीप सिंह
श्री दुर्लभ सिंह
,, गनपत सिंह
,, घासी राम
,, घासीराम यादव
,, घीसीसिंह कटेला
,, जयसिंह राणावत
,, गोपीलाल यादव
,, गुरूदयाल सिंह सन्धु
,, हनवन्त सिंह
,, हंसराज आर्य
,, हंसराज जटिया
,, हरिदेव जोशी (अनुपस्थित)
,, हरिदत्त
,, हरीराम निनामा
,, हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

[ श्री अध्यक्ष ]

श्री हरिसिंह

,, सरदार हरलाल सिंह (अनुपस्थित)

,, हजारीलाल शर्मा

,, हिम्मतसिंह फ्रोम फलोदी

राज श्री हिम्मतसिंह फ्रोम अटरू (अनुपस्थित)

श्री द्वारकादास पुरोहित

,, ईश्वरी सिंह

,, जगतसिंह झाला

,, जयचन्द्र मोहिल

,, रामरतन कोचर फ्रोम बीकानेर

,, जवानसिंह सोलंकी

,, जयेन्द्र सिंह सोलंकी (अनुपस्थित)

,, कानसिंह

,, कंवरलाल जेलिया

,, ज्ञानचन्द मोदी

,, कस्तूरचन्द

,, केशरीसिंह सोजत मेन( अनुपस्थित )

ठाकुर श्री केशरीसिंह फ्रोम नागौर

महाराज श्री केशरीसिंह पाटन

श्री केशरीसिंह मांडलगढ़

,, किशनलाल शाह

,, मोहम्मद अब्दुल हादी

,, कुम्भाराम आर्य ( अनुपस्थित )

,, लादूराम चौधरी

,, लालबहादुर

,, लालसिंह शक्तावत

,, लालूराम

# Page No.6



[ श्री अध्यक्ष

श्री लक्ष्मण हीरात
ठाकुर श्री लक्ष्मणसिंह
श्री चांदमल मेहता
,, माधोलाल मेहर ( अनुपस्थित )
ठाकुर श्री माधोसिंह फ्रोम बाड़मेर डी
ठाकुर श्री माधोसिंह जालोर ए
श्री गौरीशंकर आचार्य
,, महादेवप्रसाद बंका
,, मंगलसिंह कछवाहा
डा॰ श्री मंगलसिंह
श्री मन्ना भील ( श्री अध्यक्ष द्वारा बोल कर शपथ दिलाई गई )
,, मनफूलसिंह
रावत श्री मानसिंह
राजा श्री मानसिंह
श्री मथुरादास माथुर
,, मोहब्बतसिंह
,, मौलवी मोहम्मद इब्राहीम
,, मोहनसिंह भाटी
,, मोटाराम चौधरी
,, मोतीचन्द खजान्ची
,, मोतीलाल चौधरी
,, मोतीराम
,, मुक्तिलाल मोदी ( अनुपस्थित )
,, नारायण चतुर्वेदी
,, नारायणलाल
,, नरोत्तमलाल जोशी

( करतल-ध्वनि )

[ श्री अध्यक्ष]

श्री नरसिंह कछवाहा

,, नाथूराम मिर्धा

,, नाथूसिंह

,, प्रतापसिंह ( चित्तौड़ )

,, प्रभुदयाल

,, प्रतापसिंह ( सज्जनगढ़ )

,, राधाकृष्ण मारू

,, मेजर ठाकुर रघुवीरसिंह बिसाऊ

,, रामदयाल उपाध्याय

,, रामजीलाल यादव

,, रामरतन टिक्कीवाल

,, रिद्धिचन्द्र पालीवाल

,, रोशनलाल शर्मा

पं० रूपनारायण शास्त्री

केप्टिन श्री सज्जनसिंह

श्री संतोषसिंह कछवाहा

,, मुक्तिलाल मोदी

श्री अध्यक्ष ( श्री जयनारायण व्यास ) —ये जो नाम बुलाये जा रहे हैं वे डिविजन वाइज़ बुलाये जा रहे हैं इसलिए जो व्यक्ति आ जावें उनके बाद के महानुभाव तैयार रहें तो बरा समय बच जायगा।

रावत श्री शम्भूसिंह

महाराज श्री शिवदानसिंह

,, श्रीमानसिंह

,, श्रीगोपाल भार्गव

श्री श्यामलाल गोयल

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री सोमा वालू भील

[ श्री अध्यक्ष ]

श्री सुगनचन्द जैन

श्री तनसिंह

श्री तेजमल बापना

श्री तेजपालसिंह (अनुपस्थित)

श्री तेजपाल

श्री टीकाराम पालीवाल (अनुपस्थित)

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा

श्री उदयलाल बरदिया

ठा. श्री उम्मेदसिंह (अनुपस्थित)

श्री वेदपाल त्यागी

श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्रसिंह

श्री हरिकृष्ण व्यास

श्री अम्बालाल (अनुपस्थित)

श्री अर्जुनदास

श्री बालकृष्ण कौल

श्री भागीरथसिंह

श्री भीमनदास

श्री छगनलाल गैना

श्री चिम्मनसिंह भाटी

श्री फतहसिंह

श्री गनपतिसिंह

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (अनुपस्थित)

श्री हरजीतलाल

श्री हजारी

श्री जगन्नाथ शर्मा

श्री जयनारायण शर्मा

[श्री अध्यक्ष]

श्री जेठमल चौधरी

श्री कल्याणसिंह

श्री लक्ष्मणसिंह

श्री लक्ष्मीनारायण

श्री महेन्द्रसिंह पंवार

श्री नारायणसिंह

श्री परसराम गंगाराम

श्री प्रेमसिंह

श्री रमेशचन्द्र भार्गव

श्री सेवादास ऋषि

श्री शिवनारायणसिंह

श्री सूर्यमल मौर्य

श्री सैयदअब्बास अली

श्री सैयद हिम्मतअली

श्री वली मोहम्मद

श्री अध्यक्ष—अभी कई नाम जब पुकारे गये थे तो कई माननीय सदस्य वहां उपस्थित नहीं थे, तो वे अब शपथ ग्रहण करेंगें। ऐसे करीब २२ नाम हैं। वह आप (सचिव की ओर संकेत करते हुए) लिस्ट में से नम्बरवाइज़ बोलेंगे।

(निम्न—लिखित सदस्यों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण किया)

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल

श्री बद्रीलाल

श्री भैरव लाल कालाबादल

ठा० श्री भैरोंसिंह फ्रोम बाली-देसूरी (अनुपस्थित)

श्री भोपाल सिंह (अनुपस्थित)

ले० क० कु० श्री बिशन सिंह (अनुपस्थित)

[श्री अध्यक्ष]

महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)
श्री हरिदेव जोशी
सरदार श्री हरलाल सिंह (गलत पढ़ा)

श्री वेदपाल त्यागी—This is no oath, यह शपथ नहीं ली गई।

श्री अध्यक्ष—कुछ शब्दों में हेरफेर हुआ है, लेकिन ये सारे शब्द स्वीकार करते हैं जो कि इसमें लिखे गये हैं।

राज श्री हिम्मत सिंह फ्रोम अरू (अनुपस्थित)
श्री नयेन्द्र सिंह (,,)
श्री केसरीसिंह फ्रोम सोजत (,,)
श्री कुम्भाराम आर्य
श्री माधोलाल मेहर
मेजर श्री आपजी रघुराज सिंह (अनुपस्थित)
श्री रामलाल बंसीवाल
श्री संग्राम सिंह (,,)
श्री अंगद राम (,,)
राव राजा श्री सरदार सिंह (,,)
श्री श्रीदास गोयल (,,)
श्री तेजराजसिंह गेता (अनुपस्थित)
श्री टीकाराम पालीवाल (,,)
ठा० श्री उम्मेदसिंह (,,)
श्री विजयसिंह (,,)
श्री अम्बालाल (,,)
श्री हरिभाऊ उपाध्याय (,,)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं अब कोई और नाम तो बाकी नहीं रहा है।

[ श्री अध्यक्ष ]

## श्री नरोत्तमलाल जोशी, पूर्व अध्यक्ष, का पुनः अध्यक्षीय पद पर निर्वाचन

अब इसके बाद में अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम है। जिन जिन महानुभावों के नामों के प्रस्ताव आये हैं उनके सम्बन्ध में मैं क्रमशः नाम लेता रहूंगा और प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे खड़े हो जावें।

**श्री भैरोंसिंह (डिविजन नं० १६)**—On a point of order, sir, मैं अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। हमारे पास जो इस प्रस्ताव की सूचना आई है उससे, और अभी जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि इस विधान सभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस समय चुनाव होंगे और उसी प्रकार से कुछ प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले हैं; अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिज़नेस ऑफ दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के रूल ७ में और उसके वर्ग (२) में जिन बातों का उल्लेख किया गया है मैं समझता हूं कि उनकी पूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हुई है। इसके वर्ग (१) में लिखा है:

"The election of a Speaker shall be held on such date as the Rajpramukh may fix, and the Secretary shall send to every member notice of this date."

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो परिपत्र संख्या ४ दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, कि मुझे भारतीय संविधान के अनुच्छेद १८८ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने एवं यह सूचित करने का आदेश प्राप्त हुआ है कि आगामी सत्र का प्रथम दिन अर्थात् ३ दिसम्बर, १९५६ शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए नियत हुआ है "और पुनः परिपत्र संख्या ५ दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है" कि मुझे आपका ध्यान आगामी प्रथम सत्र की बैठकों की तिथि-पत्री, जो इस सचिवालय के परिपत्र संख्या ३ दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ द्वारा भेजी जा रही है की ओर आकर्षित करानेका आदेश प्राप्त हुआ है। इस तिथि पत्री के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन सोमवार दिनांक ३ दिसम्बर, १९५६ को सदस्यों द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् होंगे। ये निर्वाचन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम ७ व ८ के अन्तर्गत किये जायेंगे।"

अब हमें यह देखना है कि इस नियमावली के अनुसार इस बात का उल्लेख हुआ है कि उपाध्यक्षपद और अध्यक्ष पद के लिये जो चुनाव की तिथि निश्चित की जायगी उस तिथि के निश्चित करने का अधिकार राज्यपाल को होगा। हमारे पास जो सूचना आई है उस सूचना के अनुसार हमें केवल इस बात का आभास हुआ है कि यह सूचना हमारे पास जो भेजी गई है उसकी स्वीकृति राज्यपाल से हुई या नहीं या केवल स्पीकर महोदय द्वारा ही हुई है। अगर स्पीकर महोदय द्वारा हुई है तो मेरा यह निवेदन है कि स्पीकर महोदय को कोई भी अधिकर नहीं कि वे अध्यक्ष और

[श्री भैरूंसिंह]

उपाध्यक्ष पद के लिये चुनाव की तिथि के बारे में सूचना दें। उन पदों के चुनाव की तिथि की स्वीकृति केवल श्रीमान् राज्यपाल ही कर सकते हैं और उनकी स्वीकृति का उल्लेख का, यह जो परिपत्र जारी किया गया है, उसमें अवश्य होना चाहिये। जब इस बात का उल्लेख नहीं तो हम यह कह सकते हैं कि इस तिथि की निश्चित करने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा नहीं हुई है और उनके द्वारा यह तिथि निश्चित नहीं की गई है। जब उनके द्वारा तारीख निश्चित नहीं होती है तो वैसी स्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के चुनाव का अधिकार नहीं रहता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे नियमानुकूल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष (श्री जयनारायण व्यास):—मैंने, माननीय सदस्य द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है, वह आपत्ति सुनी। रूल्स की तरफ जो आपने ध्यान आकर्षित किया उसमें आपने दो मुद्दे उठाये। एक बात तो आपने यह रखी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये जो स्वीकृति होनी चाहिये वह स्पीकर या सरकार की स्वीकृति न होकर राज्यपाल की स्वीकृति होनी चाहिये। दूसरी बात जो आपने रखी वह यह कि इस बात की सूचना सभी सदस्यों को मिल जानी चाहिये। जो परिपत्र पढ़कर सुनाया गया उससे यह तो साफ जाहिर हो गया कि इसकी सूचना सभी माननीय सदस्यों को मिल गई। लेकिन इस परिपत्र में यह जाहिर नहीं किया गया कि यह जो सूचना है इसके पीछे राज्यपाल की स्वीकृति है या नहीं? लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि यह जो सूचना दी गई वह इसलिये कि समय पर चुनाव कराने थे, इस लिये पहले दी गई और राज्यपाल की स्वीकृति के इन एन्टीसीपीशन ( In anticipatin ) दी गई, लेकिन इस सम्बन्ध में बाद में राज्यपाल महोदय की स्वीकृति आ गई। सदस्यों को सूचना मिलना आवश्यक था इसलिये सेक्रेटरी महोदय की तरफ से यह परिपत्र जारी किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में जो नोटिफिकेशन राज्यपाल की तरफ से आया वह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूँ। ३० नवम्बर की यह सूचना है "In exercise of the powers conferred by Article 180 of the Constitution of India the Governor of the State of Rajasthan has been pleased to appoint Shri Jainarain Vyas, M. L. A., to perform the duties of the Speaker of the said Assembly during its session commencing on the 3rd December, 1956, until such time as a Speaker shall have been elected."

इसके बाद में, बल्कि इसके साथ ही कहना चाहिये एक और सूचना गवर्नर महोदय की तरफ से मोली है जिसमें यह बात है :

"The Governer of the State of Rajasthan has been pleased to fix the third day of December, 1956, as the date for the holding of the election of the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री भैरूंसिंह -- यह कौनसी तारीख की है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा तीस तारीख की है, उसी दिन की है। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है उन दोनों आपत्तियों का इस प्रकार निराकरण हो जाता है। इनमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन साबित नहीं होता। राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है, उसका परिपत्र में जिक्र आना चाहिए, यह जो आपत्ति उठायी गई है वह आपत्ति ठीक नहीं है। मैं इस आपत्ति को रूल आउट करता हूं।

श्री अर्जुनदास—On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष—The point of order has been ruled out of order.

श्री अर्जुनदास—I will raise another point of order. The fact has not been communicated to us that the Governor has given his assent. I now raise this point of order under Rule 7.

श्री अध्यक्ष—I think this is the same point of order. I have already explained the whole thing in reply to the point of order raised by Shri Bhairon Singh.

श्री अर्जुनदास—Explaining is one thing but giving decision on the point of order is something different. My point of order has not yet been raised, how could it be decided ?

श्री अध्यक्ष—You may please raise it if it is separate from what Shri Bhairon Singh has just stated.

श्री अर्जुनदास—I think it will be more advisable to allow me to explain my point of order. Rule 7 provides" The election of a Speaker shall be held on such date as the Rajpramukh may fix, and the Secretary shall send to every member notice of this date." This presupposes that the date shall first be fixed by the Rajpramukh and then and then alone that can be communicated to the hon'ble members. We cannot expect a child before the marriage, we cannot place the cart before the horse. This date has been fixed by the Secretary first and thereafter the Governor has given his assent. It is not a compliance with this Rule. The date has got to be fixed first and then to be communicated to us. And, therefore. I submit that the proceedings of today or the election of the Speaker will be ultra-vires as per this Rule, Sir.

Page No.14



श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि जो आपत्ति है वह उसी पहली वाली आपत्ति के समान ही है। सिर्फ अन्तर आपने इतना किया, आपने जो परिभाषा की है उसके अनुसार आपने कहा कि यह कल्पना कर ली जानी चाहिये कि पहले राज्यपाल की आज्ञा होगी, उसके बाद में परिपत्र निकलना चाहिये। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि दो सूरतें हैं, एक तो राज्यपाल की आज्ञा होनी चाहिये और दूसरा परिपत्र भी निकलना चाहिये। आवश्यकता को देखते हुए परिपत्र पहले को निकाला जा सकता है, इन एन्टीसीपेशन निकल सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्यपाल की आज्ञा उसके बाद में आ चुकी है। राज्यपाल की आज्ञा के बिना तिथि मुकर्रर कर दी गई हो, ऐसा मालूम नहीं पडता। इसलिए मैं जो यह दूसरा पोइन्ट आफ ऑर्डर रेज किया गया है उसको भी रूल आउट करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, I have yet another point of order. According to Rule 7(2) the notice in regard to the intention of moving a motion has to be given before the noon on the day preceding the date so fixed. The Agenda for to-day does indicate the motions for which notices have been received. But it is not stated therein as to on what date and at what time the various motions have been received. That does not enable the members of this House and possibly also the Chair to find out and decide whether these motions will be admissible. Before the hon'ble members concerned are called upon to move their motions this particular information is very necessary to be given to the members of the House. Moreover, Sir, I wish to draw your attention to Rule 7(1) again which notwithstanding the decision on the subject speaks: "the Secretary shall send to every member notice of this date." The words used are 'this date' and this date in this particular case is the date which the Rajpramukh or the Governor has appointed. Therefore I submit that unless the Governor appoints the date no Secretary in the world can communicate to the members the notice regarding this date unless the Rajpramukh or the Governor in this particular case has appointed this date. This is my submission. I would seek that the hon'ble Mr. Speaker gives consideration on this over again.

The second point is most essential and it has not yet been decided. I submit that the information sought has to be given to the members of the House. So I object to the admissibility of the various motions.

श्री अध्यक्ष (श्री जयनारायण व्यास)— अब दूसरा पोइन्ट ऑफ आर्डर जोधपुर के माननीय सदस्य ने उठाया है और उस पोइन्ट ऑफ आर्डर को उठाते वक्त उन्होंने चतुराई के साथ पहले पोइन्ट ऑफ आर्डर को भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से लाने की कोशिश की है और इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि "दिस डेट" जो है वह दिस डेट ३ दिसम्बर है। मैं पहले ही कह चुका था कि इस पर गवर्नर की लिखित स्वीकृति नहीं थी पर वर्बल स्वीकृति थी और

[श्री अध्यक्ष]

लिखित स्वीकृति बाद में आई है इसलिए "दिस डेट' दिस हीं डेट रही है टेट डेट नहीं रही है।

(हंसी)

अब मैं उनकी मुख्य आपत्ति पर आता हूं। उन्होंने मुख्य आपत्ति यह उठाई है कि नोटिस किसको कब कहां दिया ? इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरा काम ही नहीं है। मेरे सामने तो जो है सो यही है। मैं कोई स्क्रूटिनिंग ऑफिसर नहीं हूं, बल्कि मैं एक प्रोविजनल स्पीकर हूं और जो मोशन्स और जो अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत किये जा चुके हैं उन्हीं मोशन्स को मैं यहां रख रहा हूं और इसके पहले, दो दिन पहले या दो वर्ष पहले क्या कार्यवाही हुई है उसकी स्क्रूटिनी करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस तिथि को आया है या उस तिथि को आया है या कि पहले-पीछे आया है, इसके लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं। यह स्क्रूटिनी ऑफिसर का काम है। पर जहां तक समय का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं इस सदन के बहुत अरसे से सदस्य हैं और उन्होंने अगर यहां की कार्यवाही में किसी दृष्टि से ज्यादा भाग नहीं लिया तो कम भी नहीं लिया है और मैं इस आधार पर समझता हूं कि हमारे यहां मोशन मूव करने के जो तरीके हैं उनमें हमारे यहां एक परम्परा चली आ रही है, हमने कुछ परम्पराएं कायम की हैं, और वे परम्पराएं यहां तक चली हैं कि सदन के सामने उसी समय भी मोशन लिये जा सकते हैं तो ऐसी भी परम्परा चली है। इसलिये यह भी परम्पराओं के अनुकूल ही है। इसलिये मेरे सामने जो नियमित रूप से मोशन आ चुका है मैं उन्हीं को मूव करने देने की आज्ञा देने को बाध्य हूं

**श्री अर्जुनदास**—On a point of information, Sir, who has the right to scrutinize these nomination papers ?

**श्री अध्यक्ष**—I think the Speaker of the time when the nominations were received and not I.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**— Has the Speaker of the time considered this question and is there any decision on record taken by him specifically answering this particular point ?

**श्री अध्यक्ष**—I think the scrutiny papers are not to be put on the Table of the House. The hon'ble member may demand the scrutiny papers at a later date because it is outside my purview. I would not like to go into that matter at all.

# Page No.16



श्री हरिकृष्ण व्यास--I specifically object to the first motion that is being made, Sir. On my information I claim that the motion has been received after twelve noon of the date so fixed and therefore it was not received in time. I, therefore, submit that this motion be ruled out of order. I presume that this motion was received after twelve noon of the date fixed.

श्री अध्यक्ष—I am proceeding on the List of admitted motions only. This is an admitted motion and is in order. I rule the objection out of order.

श्री अर्जुनदास—Has the last Speaker admitted these motions ?

श्री अध्यक्ष—I have nothing to add more than what I have already stated. The hon'ble member can seek information, after that if he so desires. Now I am proceeding with the next motion.

श्री कानसिंह—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that Shri Narottam Lal Joshi be chosen as Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly.

श्री चन्दनमल वेद—Mr. Speaker, I second the motion moved by Shri Kansingh.

श्री अध्यक्ष—The second motion stands in the name of Shri Amritlal Yadav.

श्री मथुरादास माथुर—Unless and until the motion moved by Shri Kansingh is put to vote and decision taken upon it as per rules we cannot proceed further.

श्री अध्यक्ष—Will you please read the rules ?

श्री मथुरादास माथुर—I am referring to Chapter III, Rule 7 (4):

"The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall, without putting later motions, declasre that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Speaker of the Assembly," Therefore, Sir...

श्री गोपीलाल यादव—Motions are to be moved first and then decided according to the order in which they have been moved.

श्री अध्यक्ष—I think the motions should first be moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I submit, Sir, that there is a difference between moving a motion and putting a motion. The stage is that all the motions have been moved.

श्री अध्यक्ष—I think all the motions may be moved. I call upon the movers who want to move and who do not want to move their motions.

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं अपने प्रस्ताव को मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—The third motion stands in the name of Shri Damodarlal vyas.

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं भी अपने मोशन को मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—चौथा प्रस्ताव है श्री छगनलाल गैना के नाम से।

श्री छगनलाल गैना—Sir, I do not want to move my motion.

श्री अध्यक्ष—पांचवा प्रस्ताव है श्री सेवादास के नाम।

श्री सेवादास—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—अब छठा प्रस्ताव जो है वह श्री भैरोंसिंहजी के नाम पर है और वे यह उपस्थित करने वाले हैं अपने प्रस्ताव में, "That Shri Abani kumar Mookerjee, Division No 1, be chosen as the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री अवनिकुमार मुकर्जी का मेरे पास एक पत्र आया है उसमें जो उन्होंने लिखा है वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं:

"This is to inform you that I no longer wish to contest the elections for the Speakership of Rajasthan Lepislative Assembly and the Member concerned who has moved the motion may be informed not to move his motion."

अब नियमानुसार भैरोंसिंहजी डिविजन नं० १६ अपनी तरफ से रूल नं० ७ (३) के अनुसार एक वक्तव्य दे सकते हैं और मैं निवेदन करूंगा कि अगर वे चाहें तो एक स्टेटमेन्ट दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में इस सदन में मुझे कुछ कहने का मौका मिला है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—मौका पहले भी आया।

श्री भैरोंसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा...

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं बता दूं कि स्टेटमैन्ट अबाउट विद्ड्रॉअल (Statement about withdrawal) ही है। गवर्नर की स्पीच के लिए स्टेटमैन्ट नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह—विद्ड्रॉअल के बारे में ही होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज से पांच वर्ष पूर्व राजस्थान की विधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए थे, उस समय सत्तारूढ दल की ओर से हमें इस बात का आश्वासन मिला था कि हम भविष्य में इस प्रकार की परम्परायें डालने वाले हैं कि जिन परम्पराओं के आधार पर अध्यक्ष पद के लिये सत्तारूढ़ दल की ओर से किन्हीं सदस्य को पदारूढ़ किया जावे और विरोधी दल की ओर से कोई सदस्य उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करें।

श्री अध्यक्ष—अभी उपाध्यक्ष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—विद्ड्रॉअल से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—इससे, मैं समझता हूं, सारे संसार का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। टेलीविज़न, टेलिस्कोप से सारे संसार का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है।

(हंसी)

सारे सम्बन्ध स्पीकर के चुनाव के ऊपर लाकर न डालें।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (१६)—यह सम्बन्ध टूटने वाला है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि हम यह विश्वास कर रहे थे कि आयन्दा जो चुनाव होंगे उसमें उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए विरोधी पक्ष को श्रेय दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य को मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि अभी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है और मेरी अध्यक्षता में होने वाला भी नहीं है। आपको तो यह बयान देना चाहिये कि आप विद्ड्रा करते हैं या नहीं? यदि विद्ड्रॉ नहीं करते हैं तो उसका सदन से निर्णय दिया जावेगा। उपाध्यक्षजी का चुनाव नहीं हुआ है, यह एन्टीसिपेट करके चलेंगे तो यह नियम और परम्पराओं के विरुद्ध होगा।

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली है कि जिन माननीय सदस्य ने जिनको मैंने प्रस्तावित करने को सोचा था उन्होंने अपना नाम वापिस लेने की बात कही है, यह शायद सत्तारूढ दल की नकल न करके पिछला जैसा विश्वास दिलाया है कि सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष होगा और विरोधी दल का उपाध्यक्ष होगा, लेकिन सत्तारूढ़ दल उसका पालन न करे और विरोधी पक्ष के सदस्य उसका पालन करें, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय अध्यक्ष के पद का चुनाव निर्विरोध करने दें और इसी दृष्टि से सत्तारूढ़ दल यह विश्वास दिलाये, आगे चल कर कि उपाध्यक्ष का पद विरोधी दल के सदस्यों में से दिया जायगा, अगर इसी दृष्टि से विद्ड्रॉअल किया है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। (विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि) और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस प्रस्ताव को सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत करूं।

श्री अध्यक्ष—अब अध्यक्ष पद के लिए एक ही नाम रह जाता है और वह है श्री नरोत्तमजी जोशी का।

एक माननीय सदस्य—मैं आपका ध्यान कोलम नं० ५ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री जगन्नाथ शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया है। श्री चिमनसिंह भाटी को अपना प्रस्ताव लेने के लिए अभी नहीं कहा गया है

श्री अध्यक्ष—मैं माफी चाहता हूं। एक प्रस्ताव और है। मैं श्री चिमनसिंहजी भाटी से पूछना चाहता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को उपस्थित करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री चिमनसिंह भाटी—मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने पेश ही नहीं किया है।

(हंसी)

श्री चिमनसिंह भाटी—मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—अब मेरा ख्याल है कि कोई नाम बाकी नहीं रहता है, सिवाय श्री नरोत्तमजी जोशी के। इसलिए मैं श्री नरोत्तमजी जोशी को अध्यक्ष घोषित करता हूं।

(करतल-ध्वनि)

और एक बार धन्यवाद दे दूं कि आपने दो, ढ़ाई, तीन घन्टे के इस कार्यकाल में शान्ति के साथ मुझे सहयोग दिया और श्री नरोत्तम जी को बधाई देते हुए निवेदन करता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बैठने के आदि हैं उसी पर पधारें।

(करतल-ध्वनि के पश्चात् कुछ विराम के अनन्तर)

[ श्री अध्यक्ष ]

आप आवेंगे जब मैं जाऊंगा। कुर्सी खाली नहीं रहती है।

(सदन के नेता व विरोधी दल के नेता के अध्यक्ष की कुर्सी तक लिवा लाने के लिए जाने और श्री नरोत्तमलालजी के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिए आने पर करतलध्वनि।

श्री नरोत्तमलालजी जोशी के, अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर पुनः करतलध्वनि।

श्री जयनारायणजी व्यास द्वारा, श्री नरोत्तमलाल जी जोशी द्वारा खाली की गई बैठक पर बैठने पर, करतलध्वनि।)

## श्री लालसिंह शक्तावत, पूर्व उपाध्यक्ष, का पुनः उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी)--उपाध्यक्ष का चुनाव। अब उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो मनोनयन पत्र आये हैं उनको मैं एक के बाद दूसरे को प्रस्तुत करने की आज्ञा देता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में आपका ध्यान आकर्षित रूल ८ की ओर करना है जिसके अन्तर्गत:—

"The election of the Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix".

श्री अध्यक्ष—I was the Speaker then and I had already fixed the date. The order is not to be shown but the Hon'ble Member can believe this Chair. It is already with the Secretary and the Hon'ble member can see it.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौन सी तारीख है ?

श्री अध्यक्ष—If he has to make himself conspicuous by raising objections, it is a different affair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तारीख कौनसी है ?

श्री अध्यक्ष—The date is there. It was 2 to 3 days ago, and I was competent to fix the date.

श्री हरिकृष्ण व्यास—After the circular was issued.

श्री अध्यक्ष—I do not know exactly the date, but it is there. I could have shown whether it is after the circular was issued or before, but I was the Speaker then and I could have appointed the date.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The circular should have been issued after the date is fixed.

श्री अध्यक्ष—I had already appointed the date of Dy. Speaker's election, and I was competent to do that and it was within my jurisdiction.

श्री अर्जुनदास—On a point of order, sir.

श्री अध्यक्ष—There can be no point of order in vacuum. Let there be some proposal, and then there should be some point of order. I now call the members and they will move the motion, and then if on any motion, the member has to say anything, he can raise the point of order. There can be no point of order when there is no motion and when there is no proceeding of the House to the effect. There should be point of order on some motion.

श्री अर्जुनदास—It is not the question of raising the point of order on any motion, but my objection is to the very taking of the motion itself.

श्री अध्यक्ष—This is on the agenda. The agenda has already been circulated. The items mentioned on the agenda should come one by one. The Hon'ble members may raise their objections aftrwards, and if the objection prevails the motion will be dropped, otherwise the objections will be over-ruled.

Yes, Shri Mohanlal Sukhadia.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I move that Shri Lal Singh Shaktawat, M. L. A., be chosen as Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly.

श्री चांदनमल वैद—Mr. Speaker. Sir, I second the metion moved by the Leader of the House.

श्री अर्जुनदास—Now I can raise the point of order, Sir. my point of order is..,

श्री अध्यक्ष—If you agree with me, let all the motions be moved first, and hen the member can raise his point of order.

# Page No.22



श्री अर्जुनदास—All right, Sir.

श्री अध्यक्ष—Shri Mathuradass Mathur,

श्री मथुरादास माथुर—Sir, I do not want to move my motion.

श्री अध्यक्ष—Shri Jagannath Sharma.

श्री जगन्नाथ शर्मा—मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Shri Laxminarain Jonwal.

श्री लक्ष्मीनारायण जोनवाल—Sir, I do not want to move my motion.

श्री अध्यक्ष—Shri Hari Shanker Sidbanr Shastri.

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—Sir, I do not want to move the motion.

श्री अध्यक्ष—Shri Devi Singh.

श्री देवीसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—Raja Shri Pratap Singh.

राजा श्री प्रतापसिंह—Sir...

श्री अध्यक्ष—Not audible. The voice should be in proportion with the body.

(हंसी)

राज श्री प्रतापसिंह—Sir, I move...

अनेक माननीय सदस्य—क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—Not very aubible still.

राजा श्री प्रतापसिंह—Mr. Speaker, Sir, I move that Shri Jawan Singh, Division No. 67, be chosen as the Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly.

श्री अध्यक्ष—श्री छतरसिंह।

श्री छतरसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं जसवन्तसिंहजी (जवानसिंहजी) के उपाध्यक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अर्जुन दास—Now point of order, Sir, this rule 8 comes after rule 7, and both these rules as such refer to the controlling of the sessions of the first Assembly after the election. As a matter of fact, this Assembly is a new Assembly for the new Rajasthan, and as such after the electionof the Speaker, under rule 7, the only elected Speaker can fix the date under Rule 8. I may read the phraseology of rule 8, Sir: The election of the Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix."

"Speaker" here necessarily means the Speaker elected under Rule 7...

श्री अध्यक्ष—One thing which the Hon'ble member should know is that the Speaker who was in the Chair or who was working as Speaker from the 1st of November, 1956, was the Speaker of the New State and not of the old Rajasthan State according to the State Reorganisation Act.

श्री अर्जुनदास—No, Sir., He was Speaker under the special provisions of law, and under that very Act under this Rule we have elected another Speaker today. That comes under Rule 7. If you refer to section 31 of S. R. Act, there is specific and special provision empowering somebody to carry on the proceedings of this House. We have to refer now only to Rules 7 and 8. If we read both the rules together and pre-suppose, the new-coming or the in-coming Speaker is the right person to fix the date and not the out-going Speaker. You fixed the date as the outgoing Speaker and not as the incoming Speaker. Had there been another person as Speaker today your orders would not have been binding on him.

श्री अध्यक्ष—Of course, the orders will be binding according to the Constitution.

श्री अर्जुन दास—Therefore, I suggest that under rule 8 the incoming Speaker has been given the powers to fix the date according to the convenience of the House and the Speaker.

Another point is, as I suggested that the vacancy of the Deputy Speaker occourred only today. Under section 31 of the S. R. Act the vacancy did not occur before 11 A. M. today and when the vacancy has not taken place how can anybody fix the date ? The vacancy occurred at 11 A. M. today and only after

[ श्री अर्जुनदास ]

11 A. M. and not a minute before or till the vacancy takes place, Sir, that the date can be fixed.

श्री अध्यक्ष—(On Shri H. K. Vyas's standing for speaking) Supporting the point of order ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, my point is slightly different. There has been absolutely no compliance of Rule 8 as far as this particular question is concerned. The rule as I was stating a few minutes back speaks of the election of the Deputy Speaker and says that—

"It shall be held on such date as the Speaker may fix," and further it says, "the Secretary shall send to every member notice of this date." I claim, Sir, that the job of the Secretary comes only after the date has been fixed.

If the Secretary chooses to exercise some powers which the Rules have not given to him, then of course he has to thank himself about it. As long as he has not been told by the Speaker that such and such date has been fixed for the election of the Deputy Speaker, I submit that the Secretary had no business to issue any circular and if he has issued any circular that circular is ultra vires of the rules, and since the date was fixed by the Speaker, I mean the Speaker who was working from November 1st till to day, his jurisdiction and his authority to fix the date even though that may not be challenged, but all the same unless he had fixed the date. The Secretary could not have communicated that date, and if he has, the Secretary is guilty of an unauthorised act and at best we can be lenient, but in any case it cannot be considered to be a compliance of the rules. Therefore, my objection is, there has been no compliance of the rules in as much as the communication of the date, the date which the Speaker had fixed, has not been done at all. If the Secretary has written a letter to the members it is a private communication of no consequence as far as the rule is concerned. On this ground I submit that we need not proceed with a decision of this kind.

श्री शिवनारायण सिंह—In my opinion the motion is perfectly in order, and the Hon'ble Member seems to be under some apprehension, misapprehension rather. The Speaker, who continues to be Speaker till the Hon'ble Mr. Jai Narain Vyas was appointed by the Government was competent under Rule 8 to fix the date for the Deputy Speaker's election.

श्री अर्जुन दास—Is there going to be a general discussion on this point of order ?

श्री अध्यक्ष—No, they can express their view. It is only a constitutional point.

श्री अर्जुन दास—Then the other Members of the Opposition will also have to speak.

श्री अध्यक्ष—Of course, if they want a general debate, I have no objection becuase we have no other agenda to day.

श्री शिवनारायण सिंह—I was seeking permission of the Chair to set aside such point-less objections from the other side. He knows that the point of order...

श्री हरिकृष्ण व्यास—I object to the use of the word 'frivolous'.

श्री शिवनारायण सिंह—I said 'point-less'.

श्री अध्यक्ष—"Point-less point of order."

श्री शिवनारायणसिंह—So Rule 8 says...

श्री अध्यक्ष—You accept the word 'point-less"?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not accept it, but I do not deny his right to say absurd things.

श्री शिवनारायण सिंह—Under Rule 8, the Speaker has the authority to fix a date. In this case the Hon'ble Speaker has fixed the date So the dates which have been fixed are fixed correctly and the motion is in order.

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Speaker, Sir, there are two points which have been raised. One is that the Speaker who has continued under the S. R. Act as Speaker of the new Assembly cannot fix a date. At least I find no weight in this point of order. But the point of order raised by the learned friend coming from Jodhpur, I find weight in it, because the circular letter which has been issued to all members of this Assembly about the election of the Deputy Speaker, that letter is from the Secretary and without any authority. If the order has been passed before that letter has been issued, then of course he can do it. But the rules do not give any authority to the Speaker also to rectify the wrong done by the Secretary. In my opinion the Secretary cannot call upon the members to elect a Deputy Speaker

[ श्री वेदपाल त्यागी ]

It is only the Speaker who can call upon the members to elect the Deputy Speaker. It may be that the order might have been passed thereafter, but unless that order has been communicated in the form that is prescribed for it in the Constitution, we cannot be asked to elect the Deputy Speaker. Therefore, my submission is that unless it has been duly complied, Rule 8 has been complied with, the House cannot elect the Deputy Speaker, and the proceedings for the election of the Deputy Speaker should be stayed today and should be postponed for some other date.

श्री मानसिंह महार:—माननीय अध्यक्ष, आप दोनों की जोड़ी को मैं चिरायु रखना चाहता हूँ कुर्सी पर, लेकिन यह होते हुए भी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सदन के जो रूल्स ओफ प्रोसिजर हैं उन्हें हमें स्ट्रिक्टली फोलो करना चाहिये। आपके पूर्व जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने जो फैसला दिया उससे हमको दुःख जरूर हुआ लेकिन अब यदि आप भी उसी लाइन पर इस मामले को लेकर चलेंगे...

श्री अध्यक्ष—यह दुःख सदन के बाहर प्रकट करिये।

श्री मानसिंह महार—इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कायदे के माफिक उपाध्यक्ष का चुनाव आज न रख कर कल परसों रखें तो यह युनेनिमस होगा। आज शायद जोश में दूसरी तरफ के मेम्बर अपने केन्डिडेट का नाम विद्ड्रा न करें लेकिन एक-दो दिन आगे सरकने पर हम कोशिश करके उन्हें युनेनिमस इलेक्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—कुछ कुछ सद्बुद्धि आ रही है आपको। और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

( कुछ विराम के अनन्तर )

जो पोइन्ट ऑफ आर्डर माननीय सदस्य ने उठाया है उसका तात्पर्य यह है कि जाने वाले (Outgoing) स्पीकर को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिये तिथि निश्चित करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उस समय उक्त स्थान खाली ही नहीं हुआ था। इसका उत्तर विरोधी दल की ओर से ही दे दिया। मैं यह भी स्मरण दिला दूं कि एक बार राज्य पुनर्गठन बिल में यह व्यवस्था रखी गई थी कि प्रान्तों में (Parent States) से विलीन होने के बाद भी मूल प्रान्तों के स्पीकर ही नये पुनर्गठित प्रान्तों के स्पीकर बने रहेंगे परन्तु कारणवश बाद में उक्त व्यवस्था को बदल दिया गया और यह निश्चय पुनर्गठित राज्य की विधान सभा की पहिली बैठक तक मूल राज्य की विधान सभा के पुराने स्पीकर ही स्पीकर बने रहेंगे; इस ही कारण से धारा ८ में व्यवस्था की गई है, कि "The Election of a Deputy Speaker shall be held on such dete as the Speaker may fix"

[ श्री अध्यक्ष ]

अतः उनकी आपत्ति कोई बल नहीं रखती। मैं समझता हूँ कि जो एजेन्डा माननीय सदस्यों को भेजा गया है वह उनको समय पर मिला और जितनी भी एजेन्डा में बातें रखी जाती हैं इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, उन पर पहले मेरी अनुमति लिखित में ली जाती है तब उन्हें सदस्यों को सर्कुलेट किया जाता है और उसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हां, यह अवश्य है कि यदि माननीय सदस्य प्रत्येक बात पर शंका करें तो कुछ भी काम नहीं चल सकता और मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह अजेंडा मेरी स्वीकृति से जारी किया गया है और उसमें स्पीकर के चुनाव की तारीख निश्चित की हुई है। उसके साथ ही उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख भी निश्चित की हुई है। यह यहां ही नहीं हुआ बल्कि पंजाब विधान सभा, बम्बई विधान सभा; जहां कहीं भी ऐसा चुनाव हुआ है, वहां एक साथ ही इस तरह से चुनाव हुआ है। हमने उन सब से असर्टेन कर लिया है और कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स से सेटिस्फाई होकर ऐसा किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो दो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किये गये हैं उनमें कोई बल नहीं रह जाता है। अब...

**श्री भैरूसिंह**—On a point of order, Sir.

**श्री अध्यक्ष**—अभी और पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रह गया है क्या ?

**श्री भैरूसिंह**—अध्यक्ष महोदय, इन रूल्स के अनुसार मैं इस विश्वास में था कि माननीय अध्यक्ष की ओर से जो तारीख निश्चित की जायगी उस तारीख के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय का चुनाव होगा और इस विश्वास के कारण कि माननीय अध्यक्ष की ओर से इस तारीख के निश्चित होने की सूचना हमें शीघ्र मिलने वाली है और उस सूचना के मिलने पर मैं भी अपनी तरफ से किसी माननीय सदस्य का नाम उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रस्तावित करूंगा...

**श्री अध्यक्ष**—७ प्रस्ताव तो आ गये थे, क्या उपाध्यक्ष के पद के लिये ८-१० प्रस्ताव आते ?

**श्री भैरोंसिंह**—मैं चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष, कि इस प्रकार की जो कमी रही है और जिस कमी के कारण एक सदस्य को मुगालता हुआ है उस मुगालते के कारण वह प्रस्ताव पेश नहीं कर सका है। ऐसे सदस्यों को इस बात का अधिकार दिया जाय कि यदि वे चाहें तो इस समय किसी सदस्य का नाम उपाध्यक्ष के पद लिये प्रस्तावित कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष**—आपका यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पहली वाली रूलिंग में आ जाता है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—अध्यक्ष महोदय, परसों १२ बजे के बाद जो अध्यक्ष के पद के लिये प्रस्ताव किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं एतराज करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—वह रूल आउट कर दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— उन्होंने कहा था...

श्री अध्यक्ष—ये एडमिसिबिलिटी के मोशन्स होते है, और वे एडमिसिबल थे इसलिए यह कम्पलीट है। Admissibility is completely the jurisdiction of the Speaker. I can take a motion or reject it if it is not in time or there is defect in form. Yes. So there are only two motions, one by the Leader of the House about Shri Lal Singh Saktawat and other by Shri Pratap Singh, supported by Shri Chhatar Singh. Should I put it to vote ?

श्री भैरूसिंह—अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष का चुनाव सीक्रेट वोटिंग से होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपको इसका डर क्यों है ? There is no secrecy in the Assembly. Are you so afraid ?

श्री भैरूसिंह—हमें डर इसलिये है कि जो उनके खिलाफ वोट देने वाले उधर के हैं उनको इससे चिन्ता होगी।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरों के बारे में चिन्तित क्यों होते हैं ?

श्री भैरोंसिंह—इसलिये कि वे कह नहीं सकते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ( मुख्य मन्त्री )—अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि एक राय से उपाध्यक्ष का चुनाव हो पाता। यदि एक राय से चुनाव सम्भव नहीं है तो वोट लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह—माननीय मुख्य मन्त्री अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री रतनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं भी मुख्य मन्त्री जी के इस विचार से सहमत हूँ कि हमारे यहां पर चाहे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो, जैसा पहले होता आया है, कि यह चुनाव भी निर्विरोध हो। इस विषय में जो हमारी परम्परा है वह हमारे यहां की सत्तारूढ़ दल ने चलाई थी, उनकी मैं ताईद किये बिना नहीं रह सकता था। इसलिये जब पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस वक्त डिप्टी स्पीकर विरोधी दल में से लेने की उन्होंने उदारता दिखाई थी और एक विशेष प्रकार की परम्परा बनाई थी, जिसकी आज हम भी तारीफ करते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसी परम्परा को अब क्यों नहीं कन्टीन्यू किया जाय ? हमारे यहां जो पहले उपाध्यक्ष, श्री लालसिंहजी शक्तावत हैं, उनके प्रति मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जब वे विरोधी पक्ष में नहीं रहे और वे उस तरफ (कांग्रेस पार्टी) चले गये, उस बात को काफी अर्सा हो गया है। यह कोई अच्छी बात नहीं थी, चूंकि वे उस तरफ चले गये

[श्री तनसिंह]

इसलिये उनको उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया जाय, यह उचित नहीं था। अब ऐसा समय आ गया है कि जिस समय हम वह परम्परा, जिसे पहले सत्तारूढ दल ने उदाहरण के रूप में रखी थी, रख सकते हैं। अभी जैसा कि माननीय श्री भैरोंसिंह ने अध्यक्ष के चुनाव के लिये अपना प्रस्ताव विथड्रा करते समय, जो पहले परम्परा कायम हुई है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव एक राय से हो, बताया कि वे निर्विरोध चुनाव के लिए ही प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं। इस बात की उनको दाद देनी चाहिये। माननीय सदन के नेता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा निर्णय लेते तो अच्छा रहता, या फिर सदन के नेता आज से पहले भी कभी हमें कॉन्फीडेन्स में लेकर और उसके बाद विरोधी दल का विश्वास प्राप्त करके डिप्टी स्पीकर के नोमीनेशन का सवाल रखते तो उसके लिये आज हम तैयार होते। मुझे बड़ा खेद है, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की बात नहीं हुई। मैं इससे सहमत हूँ। जो परम्परा अब तक कायम रही है, और जिसको अब तक निभाया है, उसको निभाना चाहिये...

**श्री अध्यक्ष**—क्या वे उधर (कांग्रेस पार्टी) चले गये इसलिये दूसरे हों और फिर आप वापिस चुनाव करायेंगे?

**श्री तनसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मतलब नहीं है। मैंने पहले यह निवेदन किया कि डिप्टी स्पीकर उधर चले गये थे तो हमने यह नहीं चाहा था कि चुनाव दुबारा किया जाय किन्तु अब वह समय आया है...

**श्री अध्यक्ष**—If there is another Deputy Speaker and he goes over to the Congress side or to the treasury benches, what is the guarantee?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि सब एक राय नहीं होते तो वोटिंग होने दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**—It is only for short time. Why take grace out of it?

**श्री मानसिंह महार**—१०, १५ मिनिट के लिए हाउस एडजोर्न कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—I will decide it here and now.

(श्री अध्यक्ष एवं श्री जवानसिंह के परस्पर बात-चीत करने पर) अध्यक्ष महोदय की ओर से कन्वेसिंग हो रहा है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—No, I only wanted to ascertain whether he is contesting? He says he is forced to contest.

( हंसी )

(सदन में कुछ चुप्पी के अनन्तर)

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, अब मत लिए जांय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—Are you afraid of some happenings?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सदन में सौष्ठव बनाये रखने के लिये सदन को १० मिनिट के लिए एडजर्न कर दिया जाय, बजाय इसके कि सदन के अन्दर इस तरह की चीजें हों जो बेढंगी सी मालूम होती हैं; सदन को १० मिनिट के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—( श्री रामकिशोर व्यास से ) क्यों साहब, क्या किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास ( सदन के उपनेता )—All is orderly.

श्री अध्यक्ष—There is no disorder in the House.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार—I have moved an adjournment motion.

श्री अध्यक्ष—I want to know from the Treasury Benches, what they have to say.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार—According to rule...

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—This should be decided now.

श्री अध्यक्ष—I think if we have a little patience, we will decide within a few minutes.

श्री मोहनलाल सुखाडिया ( मुख्य मंत्री )—Yes.

श्री अध्यक्ष—१० मिनिट के लिये एडजोर्न कर दें ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया—Then we adjourn and meet at 2. 30.

The House gets adjourned and we meet at 2·30 today.

( तदनन्तर २. १५ मध्यान्होत्तर पर सदन की कार्यवाही २.३० मध्याह्नोत्तर तक के लिये स्थगित हुई )

(सदन की बैठक पुनः २–३५ बजे, श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, की अध्यक्षता में प्रारम्भ)

श्री अध्यक्ष—Yes, so I put this motion to vote. (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) Order ! अब आपके सामने दो मोशन्स हैं, एक मोशन श्री मोहनलाल सुखाड़िया, लीडर आफ दी हाउस का और दूसरा मोशन श्री भैरोंसिंह का है । तो मैं समझता हूँ कि पहले मोशन के ऊपर जब मैं प्रश्न रखूं तो उसमें वोइस वोट या काऊंटिंग से, जैसा भी उचित हो, उसी से तय हो और फिर मेरे ख्याल से दूसरा मोशन रखने की जरूरत नहीं है ।

श्री तनसिंह—दूसरा मोशन रखने की आवश्यकता नहीं है । मगर जो अभी थोड़ी देर पहले हाउस एडजोर्न हुआ था, तब जो सदन के माननीय नेता ने प्रस्ताव रखा था, उसको क्या वे विथड्रा कर रहे हैं या नहीं ? मेरे ख्याल से तो एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए वे अपना प्रस्ताव विथड्रॉ कर लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी जो विरोधी दल के नेता ने प्रश्न रखा है उस पर मुझे आश्चर्य हुआ । मेरे ख्याल से तो वह यह कहने के लिए खड़े हुए हैं कि उनका नाम विथड्रॉ किया जा रहा है ।

श्री तनसिंह—मैंने तो यह एलीगेशन लगाया था कि उन्होंने हमको कोन्फीडेन्स में नहीं रखा ।

श्री अध्यक्ष—The House was adjourned, इससे ज्यादा और क्या हो सकता था ?

एक माननीय सदस्य—वोटिंग कराओ साहब

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव यह है, "That Shri Lal Sinha Saktawat be chosen as Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

( मत-दान के पश्चात् )

[श्री अध्यक्ष]

हां पक्ष जीता ।

श्री तनसिंह्—Noes have it Sir.

श्री अध्यक्ष—If only protest is desired, the voice protest is there.

श्री तनसिंह्—Protest and strong protest.

श्री अध्यक्ष—Then a strong voice.

श्री तनसिंह्—It is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It should be recorded.

श्री अध्यक्ष—If counting is desired, I can order it to be counted

श्री तनसिंह्—We want division, Sir.

श्री अध्यक्ष—Division as a matter of right ?

श्री तनसिंह्—No, if the Chair thinks it proper.

श्री अध्यक्ष—Counting we can do, that so many are for the Deputy Speaker and so many for the opposition, and division means noting of names. What is the use ?

( कुछ विराम के अनन्तर )

All right.

( विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः )

प्रश्न यह है कि श्री लालसिंहजी शक्तावत को उपाध्यक्ष के पद के लिये चुने जाने का जो प्रस्ताव श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

( मतदान के पश्चात् )

हां पक्ष जीता

विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य—ना पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष—Than let there be a division.

श्री जयनारायण व्यास—Mr. Speaker, Sir, what are the lobbies allotted to us ?

श्री अध्यक्ष— Ayes to Ayes lobby and Noes to Noes Lobby.

( विभाजन के पश्चात् )

श्री अध्यक्ष—So the result of the Division is that 100 for Ayes and 29 for Noes.

( राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि )

The Ayes have it. ? ( विराम ) The Ayes have it.

( विराम )

The other motion put in by Raja Pratap Singh is automatically dropped.

So I declare that Shri Lal Singh Shaktawat has been declared to the Office of the Deputy Speaker, Rajasthan Legislative Assembly.

(करतल–ध्वनि)

## अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन एवं नई विधान सभा के निर्माण पर वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, आज पुनर्गठित राजस्थान की यह पहली बैठक है उसमें सबसे पहले मैं आपको यह बधाई देना चाहता हूं कि इस सदन ने सर्व सम्मति से आपको इस पद पर आसीन किया।

(करतल–ध्वनि)

जब से राजस्थान के अन्दर विधान सभा कायम हुई तब से आप इस पद पर आसीन हैं और दुबारा इस अवसर पर यह निर्णय हुआ उसके लिए, मैं समझता हूं, हम सब को इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए कि जो पहले से एक सिलसिला चला आ रहा है, जिसमें अधिकांश सदस्य वे ही पुराने हैं और अजमेर के सदस्य आये हैं उन सब को साथ मिल कर काम करने का अवसर प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय को भी मैं बधाई दिये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यह अच्छा होता कि जो कन्टेस्ट की स्थिति पैदा हुई वह नहीं होती। हो सकता है कि मैं पहले बात नहीं कर पाया। उसका कुसूरवार मैं ' कि मैंने बात नहीं की, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे कि समय का अभाव था

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और यह बात मैंने विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कही भी थी कि समय के अभाव के कारण यह स्थिति पैदा न हो पाये। जब कि नामजदगी के लिए भी बाकायदा मोशन मूव हो गये थे, मैंने यह निवेदन किया कि अच्छा हो कि एक राय से इस बात को कर सकें। खैर, अब जो कुछ हुआ है और उसके अन्दर वे चुन लिये गये उसके लिए मैंने उन्हें बधाई दी और मैं आशा करता हूं कि अब जो सदन की कार्यवाही, जो कम समय के लिए ही चलेगी, उन सब में आप दोनों महानुभावों का मार्ग दर्शन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

इस बीच में, अध्यक्ष महोदय, पहली बार सदन में अजमेर से आये साथी बैठे हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। वे आज हमारे बीच बैठे हैं और इस सदन की कार्यवाही में आगे हिस्सा लेंगे, इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनके अनुभवों का लाभ इस सदन को होगा। अजमेर, आबू और सुनेल को मिलाकर यह प्रान्त जो बड़ा हुआ है उस हिसाब से सदन की कार्यवाही भी बड़ी होगी। निर्णयों के मामलों में इस सदन को और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मुझे अधिक इस अवसर पर कुछ नहीं कहना है। मैं अपने साथियों की ओर से आपको और उपाध्यक्षजी को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमने यह निर्णय किया।

(करतल-ध्वनि)

श्री तनसिंह ( विरोधी पक्ष के नेता )—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस अवसर पर खुशी है कि मैं आपको आपके निर्विरोध चुनाव के लिए बधाई दूं और मैं अनुभव करता हूं कि जिस योग्यता, निष्पक्षता और उदारता से आपने हमारे विरोधी दल के अधिकारों को संरक्षण दिया है उसी प्रकार आप हमें भविष्य में भी संरक्षण देते हुए आगे की कार्यवाही और सदन की प्रतिष्ठा को उन्नत करने में योग देते रहेंगे। मैं विरोधी दल और विशेषकर संयुक्त दल की ओर से और अपनी ओर से आपको बधाई देते हुए सदन में अच्छी परम्परा कायम करने के लिए और सदन की प्रतिष्ठा उन्नत करने के लिए हृदय से विश्वास दिलाता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी के व्यक्तित्व के प्रति कोई बात नहीं थी। जो थोडी बात थी उसका प्रकरण ही बन्द हो गया और मैं उसी प्रकार उन्हें भी बधाई देता हूं जिस प्रकार आपको दी है।

(करतल-ध्वनि)

जो माननीय सदस्य अजमेर से आये हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर राजस्थान के अन्दर जनतन्त्र की अच्छी परम्पराओं को कायम रख सकेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं फिर आपको बधाई देता हूं।

( करतल-ध्वनि )

**श्री अध्यक्ष**—आप लोगों ने मुझे जो इस गौरवशाली पद के ऊपर सर्वसम्मति से चुना है उसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के इस शैशव काल में हम सब लोग पारस्परिक विचार–विनिमय करके हमारे संविधान में निर्धारित लोक कल्याणकारी राज्य की नींव सुदृढ़ कर सकेंगे, इस सदन में होने वाले वादविवाद सर्वथा ऊंचे स्तर के होंगे, तथा हम स्वस्थ एवं उच्च परम्परा डाल सकेंगे। इसके लिए सदन के सारे सदस्यों का सहयोग आवश्यक है और समझता हूं कि वह सहयोग बराबर सदन के माननीय सदस्यों से मिलता रहेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस विधान सभा के विस्तृत स्वरूप में, अजमेर के माननीय सदस्य भी सम्मिलित हो रहे हैं और उनके सत्परामर्श का भी सुअवसर हमें प्राप्त होता रहेगा। मैं उन सब आने वाले सदस्यों का, जो कि अजमेर से पधारे हैं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनके अनुभवों से, जैसा कि सदन के नेता ने प्रकट किया कि हमारा प्रान्त विशाल बना है, उसी प्रकार से विशालता हमारे विकास के सारे अंगों में आयेगी। मैं आप लोगों को फिर से विश्वास दिलाऊं कि जो कुछ भी लोकतन्त्रीय परम्पराओं का उच्चस्तर रहेगा इस पद से बराबर उसका पालन किया जायगा। जो रूलिंग या जो भी निर्णय होंगे वे निष्पक्ष भाव से और उच्चस्तरीय काम करने की दृष्टि से किये जायेंगे, और उसके लिए आप सब लोगों का सहयोग सबसे बड़ी भारी चीज़ है, और मैं समझता हूं कि जो सहयोग आप लोगों ने देकर मुझे प्रोत्साहित किया है वह मुझे बराबर प्राप्त होता रहेगा।

( करतल-ध्वनि )

इस गौरवशाली पद के लिये जो आप लोगों ने मुझे चुना मैं एक बार फिर आप लोगों का आभार प्रदर्शन करता हूं।

करतल–ध्वनि

**श्री उपाध्यक्ष** (श्री लालसिंह शक्तावत)—अध्यक्ष महोदय, मैं, आज, माननीय सदस्यों ने मेरा चुनाव उपाध्यक्ष के पद पर दुबारा करके, जो उन्होंने सद्भावना व्यक्त की उसके लिए उनका आभारी हूँ। कुछ थोड़ा सा उसके अन्दर एकमत होने की बात थी जैसा कि शायद गलतफहमी से हुआ, लेकिन विरोधी दल के नेता ने बतलाया कि उनके हृदय में कोई दुर्भावना या उदासीनता नहीं है, इसके लिए मैं विरोधी दल के प्रति और भी आभारी हूं, क्योंकि जैसा कि उनको जंचा वैसा उन्होंने किया, परन्तु वास्तव में उनके हृदय में कोई विरोध की भावना नहीं है।

अजमेर से आने वाले सदस्य और दूसरे जो भाग राजस्थान के साथ एकीकृत हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और नया जो वृहत् राजस्थान अब बना है और उसके हम सब लोग सदस्य हुए हैं, और अब हमारी यह स्टेट "ए" क्लास की स्टेट बन गई है; अब वह सब रियासतों के बराबर मानी गई है, यह जो हमारा स्टेटस, हमारी स्थिति है उसके अनुकूल मैं आशा करता हूँ कि हम सब

# Page No.36



[श्री उपाध्यक्ष]

लोग अपनी उसी सीमा के मातहत हमारी कार्यवाही को करेंगे और जो मुझे समय समय पर उपाध्यक्ष के कार्य करने में अध्यक्ष का कार्य करना पड़ता है, उसको कार्यवाही में आप लोग जो सहयोग देते रहे हैं, उसी के मुताबिक सद्भावना और सहयोग आपका बना रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं फिर एक बार आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ।

(करतल-ध्वनि)

**श्री अध्यक्ष**—I now adjourn the House upto the 5th December, 1956, for discussion on the Governors' Address, and we will be meeting to hear the Governor's address tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ३-१५ मध्यान्होत्तर पर, ५ दिसम्बर, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, ३ दिसम्बर, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

## परिशिष्ट १

### सदन के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया के, श्री लालसिंह शक्तावत को उपाध्यक्ष निर्वाचित करने सम्बन्धी, प्रस्ताव पर विभाजन

हां पक्ष—१२०

| क्र० सं० | नाम |
|---|---|
| १ | श्री अमृतलाल यादव |
| २ | ,, सरदार अर्जन सिंह |
| ३ | ,, बद्रीलाल |
| ४ | ,, बद्रीप्रसाद गुप्ता |
| ५ | ,, बलवीर सिंह |
| ६ | ,, भगवान सिंह तरंगी |
| ७ | ,, भैरवलाल 'काला बादल' |
| ८ | मेजर ठा० भैंरू सिंह (सोजत देसुरी) |
| ९ | श्री भैंरू सिंह (राजसमन्द रेलमगरा) |
| १० | ठा० श्री भानुप्रतापसिंह |
| ११ | श्री भवानीसहाय शर्मा |
| १२ | ,, ठा० भीमसिंह |
| १३ | ,, भोगीलाल पंड्या |
| १४ | ,, भोलानाथ |
| १५ | ,, विश्वम्भरनाथ जोशी |
| १६ | ,, चन्दनमल वैद |
| १७ | ,, चन्द्रनारायण व्यास |
| १८ | ,, पं० चन्द्रकान्त राव |
| १९ | ,, छंगा |
| २० | ,, छोटूसिंह |
| २१ | ,, चुन्नीलाल बिरला |

| १ | २ |
|---|---|
| २२ | श्री दिलीपसिंह |
| २३ | ,, दामोदर व्यास |
| २४ | ,, दीनबन्धु परमार |
| २५ | डा० श्री धर्म चन्द |
| २६ | श्री धर्म पाल |
| २७ | ,, धूलजीभाई भावसार |
| २८ | लैफिटनेन्ट कर्नल श्री आर. दिलीपसिंह |
| २९ | श्री दुर्लभसिंह |
| ३० | ,, रामनिवास मिर्धा |
| ३१ | ,, घासीराम |
| ३२ | ,, घासीराम यादव |
| ३३ | ,, घासीसिंह कटेला |
| ३४ | ,, जयसिंह रानावत |
| ३५ | ,, गोपीलाल यादव |
| ३६ | ,, हंसराज आर्य (भादरा से) |
| ३७ | ,, हंसराज आर्य (बारी से) |
| ३८ | ,, हरिदेव जोसी |
| ३९ | ,, हरिराम नीनामा |
| ४० | ,, हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री |
| ४१ | ,, हरिसिंह |
| ४२ | ,, हजारीलाल शर्मा |
| ४३ | ,, द्वारकालाल पुरोहित |
| ४४ | ,, जयचन्द्र मोहिल |
| ४५ | ,, कानसिंह |
| ४६ | ,, कंवरलाल जेलिया |
| ४७ | ,, ज्ञानचन्द |

| १ | २ |
|---|---|
| ४८ | श्री कस्तूरचन्द |
| ४९ | महाराज श्री केशरीसिंह( पाटन से ) |
| ५० | श्री खेतसिंह |
| ५१ | ,, किशनलाल शाह |
| ५२ | ,, मोहम्मद अब्दुल हादी |
| ५३ | ,, लादूराम चौधरी |
| ५४ | ,, लालूराम |
| ५५ | ,, लक्ष्मन हीरात |
| ५६ | ,, चांदमल मेहता |
| ५७ | ,, माधोलाल (मेहर) |
| ५८ | ठा० श्री माधोसिंह (जालोर 'ए' से) |
| ५९ | श्री गौरीशंकर आचार्य |
| ६० | ,, महादेव प्रसाद बंका |
| ६१ | ,, मंगलसिंह कछवाहा (जोधपुर तहसील नोर्थ से) |
| ६२ | ,, ठा० मंगलसिंह (बारी से) |
| ६३ | ,, मन्ना भील |
| ६४ | ,, मनफूलसिंह भादू |
| ६५ | ,, राजा मानसिंह |
| ६६ | ,, मथुरादास |
| ६७ | ,, मोहब्बतसिंह |
| ६८ | ,, मोलवीमोहम्मद इब्राहीम |
| ६९ | ,, मोहनलाल सुखाड़िया |
| ७० | ,, मोटाराम |
| ७१ | ,, मोतीराम |
| ७२ | ,, नारायण चतुर्वेदी |
| ७३ | ,, नारायणलाल |

Page No.40



| १ | २ |
|---|---|
| ७४ | ,, नाथूराम |
| ७५ | ,, प्रभू दयाल |
| ७६ | ,, राधाकिशन मारू |
| ७७ | ,, मेजर ठा० रघुवीरसिंह |
| ७८ | ,, रामचन्द्र चौधरी |
| ७९ | ,, रामदयाल उपाध्याय |
| ८० | ,, रामजीलाल यादव |
| ८१ | ,, रामकरण जोशी |
| ८२ | ,, रामकिशोर व्यास |
| ८३ | ,, रामरतन टिक्कीवाल |
| ८४ | ,, रिद्धिचन्द पालीवाल |
| ८५ | ,, रोशनलाल शर्मा |
| ८६ | ,, कैप्टीन सज्जनसिंह |
| ८७ | ,, सम्पतराम |
| ८८ | ,, शाह अलीमुद्दीन अहमद |
| ८९ | महाराज श्री शोदानसिंह |
| ९० | ,, श्रीभानसिंह |
| ९१ | ,, श्रीदास गोयल |
| ९२ | ,, श्रीगोपाल भार्गव |
| ९३ | ,, श्यामलाल गोयल |
| ९४ | ,, सोहनलाल भटनागर |
| ९५ | ,, सोमावाला भील |
| ९६ | ,, सुगनचन्द जैन |
| ९७ | ,, तेजमल बापना |
| ९८ | ,, त्रिवेणीश्याम शर्मा |

| १ | २ |
|---|---|
| ९९ | ,, उदयलाल वरदिया |
| १०० | ,, वीरेन्द्रसिंह |
| १०१ | ,, बालकिशन कौल |
| १०२ | ,, भागीरथसिंह |
| १०३ | ,, भीमनदास ल० मनवानी |
| १०४ | ,, बृजमोहनलाल शर्मा |
| १०५ | ,, छगनलाल गेना |
| १०६ | ,, चिमनसिंह भाटी |
| १०७ | ,, हरिजीतलाल |
| १०८ | ,, हजारी |
| १०९ | ,, जगन्नाथ शर्मा |
| ११० | ,, जयनारायण शर्मा |
| १११ | ,, जेठमल चौधरी |
| ११२ | ,, लक्ष्मीनारायण ग० जोनवाल |
| ११३ | ,, पारसराम गंगाराम |
| ११४ | ,, प्रेमसिंह |
| ११५ | ,, रमेशचन्द्र भार्गव |
| ११६ | ,, सेवादास रिशी |
| ११७ | ,, श्योनारायणसिंह |
| ११८ | ,, सूर्यमल मौर्य |
| ११९ | ,, सयद हिम्मतअली |
| १२० | ,, वली मोहम्मद |

ना.पत्र—२६

| क्र०सं० | नाम |
|---|---|
| १ | श्री अवनिकुमार मुकर्जी |
| २ | श्रीमती यशोदा देवी |
| ३ | श्री भैंरू सिंह (दांता रामगढ़ से) |
| ४ | ,, छत्तरसिंह |
| ५ | ,, छित्तरलाल शर्मा |
| ६ | ,, गणपतसिंह |
| ७ | ,, हनवन्तसिंह |
| ८ | ,, ईश्वरसिंह |
| ९ | ,, जगतसिंह झाला |
| १० | ,, नवानसिंह सोलंकी |
| ११ | ठा० श्री केसरीसिंह (नागोर वेस्ट से) |
| १२ | महाराज श्री केसरीसिंह (मण्डलगढ़ से) |
| १३ | ठा० श्री लक्ष्मणसिंह |
| १४ | ठा० श्री माधोसिंह (बारमेर 'सी' से) |
| १५ | रावत श्री मानसिंह |
| १६ | ,, मोहनसिंह |
| १७ | ,, नाथूसिंह |
| १८ | ,, प्रतापसिंह (सुजानगढ़ से) |
| १९ | पं० रूपनारायण शास्त्री |
| २० | ,, संतोषसिंह कछवाहा |
| २१ | रावत श्री शम्भूसिंह |
| २२ | ,, तनसिंह |
| २३ | ,, वेदपाल त्यागी |
| २४ | ,, हरिकृष्ण व्यास |

# Page No.43



| क्र० सं० | नाम |
|---|---|
| २५ | श्री फतेसिंह |
| २६ | ,, गणपतिसिंह |
| २७ | ,, कल्यानसिंह |
| २८ | ,, लक्ष्मणसिंह |
| २९ | ,, महेन्द्रसिंह पंवार |